न्यायालयः:गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

आपराधिक प्रकरण क्रमांक-39 / 14 संस्थापन दिनांक-29.01.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना <u>गोहद चौराहा</u> जिला भिण्ड म0प्र0

----अभियोजन

बनाम

राहुल उर्फ लालू पुत्र दिनेशचन्द्र शिवहरे उम्र 22 साल निवासी भगीता का पुरा बामौर जिला मुरैना म.प्र.

———अभियुक्त

🕖 अध्याय २१ द०प्र०सं० के अधीन संक्षिप्त विचारण / /

<u>—::अपराध विवरण:—</u> अंतर्गत धारा 251दप्रस

में, गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड,

आप आरोपी <u>राहुल उर्फ लालू पु</u>त्र <u>दिनेशचन्द्र शिवहरे</u> को निम्नलिखित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाता व समझाता हूँ कि :-

- 1 आपने दिनांक 25.01.14 को भिण्ड ग्वालियर रोड हरगोविन्दिसंह का पुरा की पुलिया के आगे थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर आयशर कैन्टर क्रमांक एम0पी0—06—जी.ए.0970 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। जो धारा 279 भ.द.सं के अधीन दण्डनीय है।
- 2 उक्त दिनांक समय व स्थान पर गिरजेश पहावा की उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचलान कर उपहति कारित की। जो धारा 337 भ.द.सं के अधीन दण्डनीय है।

आपका उक्त अपराध उपरोक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है मै एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

अभियुक्त का अभिवाक् — अंतर्गत धारा २५१ द.प्र.सं

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

निर्णय

(आज दिनांक 30.01.2017 को पारित किया गया)

- आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 279, 337 1. भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
- आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

| धारा कारावास | अर्थदण्ड | अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास |
|---------------------------------|---------------|---|
| 279 भा.द.स. न्यायालय उठने तक का | एक हजार रुपये | दस दिवस |
| 337 भा.द.स. | पांच सौ रूपये | पांच दिवस |

- प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0—06—जी.ए.०९७० आवेदक अशोक अग्रवाल की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- ्रदेश का पालन कि सही /-गोप्रेश गर्ग जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड धारा 357 दप्रस के अधीन जमा अर्थदण्ड में से प्रतिकर राशि एक हजार रूपये आहत गिरजेश पहावा को अपील अवधि पश्चात प्रदान किए जायें। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।